ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: 10.29121/granthaalayah.v4.i3.2016.2798

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

Social

THIRD GENDER AND MEDIA PERSPECTIVE
थर्ड जेंडर और मीडिया दृष्टिकोण

Dr. Rajendra Mohanty [*1], **Vinod Sawant** [2]
[*1] Assistant Professor, Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya, Raipur (C.G), INDIA
[2] M.Phil, Scholar, Department of Mass Communication, INDIA

ABSTRACT

Third gender to we calls hijras, fa'afafine, sworn virgins or transgender. This community is far away from their identity and main stream of society because we the people of this society only discuss them and we had done a research on it that how our print media covers them. For this we had taken four main newspapers published from Raipur i,e Dainik Bhaskar, Nai Dunia, Haribhoomi and Nava Bharat, And in this research its we had find out that the coverage of this community in these newspapers are nil. The editors of these newspaper thinks that the coverage of the community is low due to low involvement of this community in society whereas this community thinks that they are doing that kind of work which can be a news for media.

Keywords:
Third gender , Media and Mainstream.

शोध सारांश

थर्ड जेंडर समुदाय जिसे हम किन्नर, हिजड़ा, कोथी, ख़ोजा, ट्रांसजेंडर आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। उस समुदाय के बारे में हम केवल चर्चा करते है। ऐसे समुदाय को अपनी पहचान के कारण मुख्यधारा से अलग रहना पड़ता हो। जिसकी वास्तविकता को हमे संभावना के आधार पर तय करना पड़ता हो उसी समुदाय को हमारा प्रिंट मीडिया द्वारा कैसे पेश किया जाता है। शोध में रायपुर शहर से प्रकाशित चार अखबारों दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत और नई दुनिया को लिया गया है। शोध में पाया गया की प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समुदाय से संबंधित खबरों का अनुपात शून्य होता है। अखबारों के संपादकों द्वारा भी माना गया है की थर्ड जेंडर समुदाय की आबादी का कम होना और उनकी स्वयं सहभागिता की कमी के कारण भी खबर प्रकाशित नहीं हो पाती है। वही समुदाय द्वारा भी माना गया है कि स्वंय उनके समुदाय द्वारा ऐसा कार्य नही हो रहा है जो मीडिया के लिए खबर बन सके है।

प्रमुख शब्द – थर्ड जेंडर, मीडिया, मुख्यधारा।

Cite This Article: Dr. Rajendra Mohanty, and Vinod Sawant, "THIRD GENDER AND MEDIA PERSPECTIVE" International Journal of Research – Granthaalayah, Vol. 4, No. 3 (2016): 164-169.

1. प्रस्तावना

हमारे समाज की मुख्यधारा में हमेशा से ही दो जेंडर स्त्री और पुरूष प्रमुख रहे हैं, जो समाज को हमेशा से गति देता आया है। लेकिन इन दो जेंडरों के अलावा भी समाज में एक जेंडर और निवास करता है, जिसे हम अब थर्ड जेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। भारत में इनकी आबादी 2014 में लगभग 4.9 लाख थी। यह अच्छी खासी आबादी है। इसे समाज हमेशा से ही हीन दृष्टि से देखता आया है। यही कारण है कि वे खुद को समाज की मुख्यधारा से कटा हुआ समझते हैं। लेकिन 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महिला और पुरुष के समान ही थर्ड जेंडर को मान्यता दे दी है। इस फैसले के तहत थर्ड जेंडर को भी सामान्य नागरिक की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आरक्षण आदि सभी अधिकार दिये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब थर्ड जेंडर को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया है। इन्हें लिंग चेंज करवाकर इच्छा अनुसार औरत या मर्द के रूप में रहने का भी अधिकार मिल गया है। अपने इस हक के लिए थर्ड जेंडर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। इतिहास की बात करें तो 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था। 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जरायमपेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया। बाद में आजाद भारत का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया गया। परंतु उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला था।

तब से अब तक थर्ड जेंडर समाज मुख्यधारा से अलग की रहा है। हमारी और आपकी मुलाकात इस समाज से सिर्फ खुशियों के मौके पर होती है। रेलवे, बस स्टैंडों जैसे सार्वजनिक जगहों पर पैसे मांगते हुए दिख जाते हैं। हम उनका काम सिर्फ दुआएं देना समझते हैं। आज तक ऐसे समाज के बारे में हमारी जानकारी कितनी है यह एक कौतुहल का विषय है। क्या हम खुल कर इस समाज के बारे में बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें थर्ड जेंडर का हक दिया तो क्या समाज उस रूप में स्वीकार कर रहा है। आज के परिदृश्य में जहां मीडिया समाज के प्रत्येक विषय पर अपना विचार रखता है और स्वीकृति-अस्वीकृति के माध्यम से जनमत तैयार करने का प्रयास करता है। ऐसे में समाज के इस उपेक्षित वर्ग को मीडिया का कितना स्थान मिलता है। यह एक प्रश्न है?

2. शोध के उद्देश्य

1. प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समाज से संबंधित कितनी खबर प्रकाशित की जाती है?

2. प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समाज की खबरों को कैसे पेश किया जाता है?

3. प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समाज से संबंधित खबर आने या ना आने के कारण को जानना?

3. परिकल्पना

1. प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समाज से संबंधित कोई भी खबर प्रकाशित नहीं होती है।

2. प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर समाज की खबरों को पेश करने का कोई दृष्टिकोण नहीं है।

3. थर्ड जेंडर समाज कि आबादी का कम होना और सहभागिता का अभाव के कारण खबर नहीं आती है।

4. साहित्य पुनरावलोकन

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में पारित निर्णय (दिनांक 15.02.2014) ने पुरूष और महिलाओं के समान ही थर्ड जेंडर सामुदाय को समान अधिकार दिया है। जिसके कारण थर्ड जेंडर समुदाय को एक अलग पहचान मिली। फैसले में उनके इतिहास और उनके वर्ग आदि सबकी चर्चा है। जिसने शोध अध्ययन को स्पष्ट करने में सहयोग दिया।

2. प्रदीप सौरभ द्वारा रचित उपन्यास ''तीसरी ताली'' ने थर्ड जेंडर समाज की कहानियों के माध्यम से उनकी प्रकृति, संस्कृति को समझने में शोध अध्ययन में मदद की। जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और उनके स्वयं के समुदाय में भेदभाव को भी जानने का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

3.तृतीय लिंग समुदाय एक परिचय, छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक ने थर्ड जेंडर समुदाय के वर्गीकरण को स्पष्ट किया है, जिसमें मुख्य रूप से समुदाय को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कड़ेताल (कोथी) - जो पुरूषों के पोशाक पहनते हैं। दूसरा साटलेबाज – जो स्त्रियों की वेशाभूषा में रहते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार इसे चार प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। डेरा में दान व बधाई मांगकर जीविकोपार्जन किया जाता है। खैरगल्ले डेरा में नहीं रहते हैं लेकिन बधाई और दान मांगकर जीविकोपार्जन करते हैं। सामान्य आर्थिक वर्ग में आजीविका के साधन के रूप में घर में खाना पकाना, बच्चों को संभालना, छोटा धंधा खोलना व निर्माण कार्य करते हैं। वही उच्च आर्थिक वर्ग में ब्यूटीपार्लर, डांस शिक्षक आदि कार्य करते हैं। नेशनल एड्स कन्ट्रोल ऑर्गेनाईजेशन ने इस वर्ग को उनकी यौनिकता के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है। समलैंगिक, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर शामिल होते हैं। पूरी पुस्तक में उनके थर्ड समुदाय के वर्गीकरण, ऐतिहासिक प्रमाण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कहानी आदि के माध्यम से थर्ड जेंडर समुदाय को शोध में समझने में मदद मिली है।

5. शोध अध्ययन की सीमा

शोध अध्ययन क्षेत्र को रायपुर तक ही सीमित किया गया है। जिसमें रायपुर से प्रकाशित चार प्रमुख हिंदी अखबारों को लिया गया है। जिसमें दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, नई दुनिया अखबारों को लिया गया है। जिसमें DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY के अनुसार सबसे बड़ा अखबार दैनिक भास्कर (210528, AUDIT BUREAU OF CIRCULATION), हरिभूमि (202521,AUDIT BUREAU OF CIRCULATION), नवभारत (177505, REGISTRAAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA) और नई दुनिया (127017,REGISTRAAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA) हैं।

6. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र रायपुर शहर है। शोध के लिए रायपुर से प्रकाशित चार बड़े हिन्दी अखबारों को शामिल किया है। जिसमें दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, नई दुनिया को शामिल किया गया है। आंकड़ों के लिए दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर नवम्बर माह में एक सप्ताह के अखबारों को लिया गया है। सोमवार से रविवार के अखबारों सभी पृष्ठों और अतिरिक्त पृष्ठों में थर्ड जेंडर से संबंधित खबरों का अंर्तवस्तु अध्ययन किया गया। जिसमें यह ढ़ूढ़ने का प्रत्यन किया गया है कि थर्ड जेंडर समाज से संबंधित कितनी खबर अखबारों में प्रकाशित होती है और उसको पेश कैसे किया जाता है।साथ ही साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर अखबारों के संपादकों और थर्ड जेंडर के व्यक्तियों से भी उनकी राय जानने का प्रयत्न किया गया है। वह खबर न आने का क्या कारण मानते हैं।

7. आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण

दिनांक	दैनिक भास्कर अखबार में थर्ड जेंडर संबंधित खबर	हरिभूमि अखबार में थर्ड जेंडर संबंधित खबर	नवभारत अखबार में थर्ड जेंडर संबंधित खबर	नई दुनिया अखबार में थर्ड जेंडर संबंधित खबर
23/11/15 सोमवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं
24/11/15 मंगलवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं
25/11/15 बुधवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं
26/11/15 गुरूवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं
27/11/15 शुक्रवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं
28/11/15 शनिवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं
29/11/15 रविवार	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं	कोई खबर नहीं

तालिका 1,2,3,4 से स्पष्ट होता है की सप्ताह भर अखबारों की खबरों का अध्ययन करने के बाद भी सभी अखबारों में थर्ड जेंडर समाज से संबंधित कोई खबर प्रकाशित नहीं होती है। ना ही समाचार पत्रों के अतिरिक्ति अंक में भी थर्ड जेंडर समाज की कोई खबर नहीं प्रकाशित होती है। जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अखबारों का दृष्टिकोण केवल समाज की मुख्यधारा से संबंधित खबरों से ही है।

8. साक्षात्कार

साक्षात्कार के दौरान 5 व्यक्तियों से बात की गई जिसमें तीन लोग थर्ड जेंडर समुदाय से हैं और दो अखबारों के संपादक हैं। जिसमें पहला साक्षात्कार “छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति” और “छत्तीसगढ़ थर्ड जेंडर बोर्ड” की सदस्य विद्या राजपूत से लिया गया जो स्वयं थर्ड जेंडर समुदाय से संबंध रखती हैं और थर्ड जेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने चार कारण माना है जिसके कारण उनका समुदाय मीडिया में परिदृश्य नहीं आ पा रहा है। पहला थर्ड जेंडर समुदाय का सकारात्मक चित्रिकरण नहीं होना। दूसरा उनके समाज का अनछुआ होना। तीसरा मीडिया के उनके प्रति जागरूक ना होना। चौथा कारण थर्ड जेंडर के ही ट्रांसजेंडरों को मीडिया से जुड़ा ना होना। चारों ही बिंदुओं से मीडिया सोचने लगे तो मीडिया में उनकी स्थिति सुधर सकती है।

साथ ही उन्होंने बताया कि उनके समाज का कम पढ़ा लिखा होना भी बड़ा कारण है। जिस कारण से वह मीडिया को अपनी प्रेस विज्ञप्ति नहीं पहुँचा पाते और उनके समुदाय में भी कोई काम नहीं हो रहा जो खबरों का रूप ले सके। मीडिया का काम केवल विस्तृत क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करना है और उसे ही मीडिया दिखाता है। जबकि मीडिया में यह कमी लगती है कि वह हमारे दर्द को नहीं देखता है। मीडिया को उसे भी देखना चाहिए। साथ ही उनके समाज के अधिकतर लोग छुपकर जिन्दगी जी रहें हैं, जिस कारण से वह मीडिया के परिदृश्य में नही आ पा रहें हैं। मीडिया में खबरों का फोलोअप नहीं होना भी कारण मानते हैं।

दूसरा साक्षात्कार "छत्तीसगढ़ थर्ड जेंडर बोर्ड" की सदस्य रवीना बरिहा से लिया या उन्होंने मीडिया में खबर न आने का कारण उनके समुदाय द्वारा ही कोई कार्य ऐसा नहीं किया जा रहा है जो खबर बन सके। दूसरा थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों की आबादी कम होना जो रायपुर के एक प्रतिशत भी नहीं होगी। साथ ही मीडिया के रिपोर्टों की कोई जेंडर के आधार पर बीट नहीं होना। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति देने पर वह खबर बनाते हैं और सहयोग भी देते हैं।

तीसरा साक्षात्कार "छत्तीसगढ़ थर्ड जेंडर बोर्ड" की सदस्य शबाना बेगम से लिया गया जिन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय की आबादी कम होना एक मुख्य कारण है कि मीडिया में खबर नहीं बन पाती है। साथ ही बताया की मीडिया खबरों के लिए मुख्यधारा पर केन्द्रित होता है और थर्ड जेंडर समुदाय मुख्यधारा से अलग सोच का है जो अलग ही रहता है। कुछ ही लोग हमारे समुदाय के मीडिया से संबंध बना पाते हैं। जो बना पाते हैं उनकी खबर बनती है। हमारे समाज में कुछ भी काम खबर बनने के अनुकूल नहीं होती जिस कारण खबर नहीं बन पाती और ना ही कोई लेख आ पाता है।

चौथा साक्षात्कार "हरिभूमि" अखबार के समाचार संपादक ब्रह्मवीर सिंह से लिया जिन्होंने मीडिया में थर्ड जेंडर समुदाय की कम खबर आने का मुख्य कारण उनकी आबादी का कम होना और उनके संगठन का स्वयं कोई कार्य न करना माना है। थर्ड जेंडर के लिए मीडिया के दृष्टिकोण का कोई अभाव नहीं है। खबर का चुनाव विषय पर होता है न कि ग्रुप को लेकर। मीडिया का काम किसी के अधिकारों के लिए लड़ना, संगठन बनाना नहीं है। यह सामाजिक कार्य हो सकता है, मीडिया का कार्य नहीं है। मीडिया का काम केवल घटना को लिखना है और कोई भी मीडिया किसी की खबरों को नही रोक सकता। इतने मीडिया हाउस आ गए हैं कि कोई भी एक संस्था आज के दौर में खबरों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। उदाहरण के रूप में सोशल मीडिया आदि।

पांचवा साक्षात्कार "दैनिक भास्कर" अखबार के संपादक शिव दुबे से लिया गया उनका मनना है कि मीडिया का काम किसी जेंडर के आधार पर नहीं होता है और न ही किसी विशेष जेंडर को लेकर अखबार खबरें लिखता है। अखबार केवल घटनाओं को लिखने का काम करता है। जो आस पास घटना होती है, जिसमें रोचकता हो, जिसे समाज पढ़ना चाहता है वही खबर बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हाल में पठानकोट में आतंकवादी घटना हुई है तो खबर वही बनेगी। न की थर्ड जेंडर समुदाय की खबर। वह अप्रासंगिक खबर होगी जिसे समाज ग्रहण नहीं करता है।

थर्ड जेंडर समाज को स्वयं आगे आना होगा तभी मीडिया में खबर बनेगी। उस समाज की स्वयं की सहभागिता का कम होने के कारण भी मीडिया में थर्ड जेंडर की खबर नहीं बनती है। अगर वह समाज काम करेगा तो उनकी खबर लिखी जायेगी। साथ ही कहना है कि अगर हम किसी ऐसे समाज पर खबर लिखेंगे जिस पर नियति की एक मार है तो लोग उनकी खबरों पर हास परिहास का विषय बनाएंगे इस कारण भी खबरों को नहीं लिया जाता है।

9. निष्कर्ष

तालिका 1,2,3,4 से यह बात स्पष्ट होती है की रायपुर शहर से प्रकाशित चार अखबारों दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत और नई दुनिया में थर्ड जेंडर समुदाय से संबंधित खबरों का अनुपात शून्य है। शोध अध्ययन से कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया में थर्ड जेंडर के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। जिस कारण से एक पूरा समुदाय मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहा है।

शोध अध्ययन में संपादकों के साक्षात्कार से यह निष्कर्ष निकला कि थर्ड जेंडर समुदाय की आबादी कम होना और उनकी स्वयं सहभागिता की कमी के कारण भी खबर प्रकाशित नहीं हो पाती है। साथ ही थर्ड जेंडर समुदाय के लोगो का भी माना है कि उनके स्वंय के समुदाय द्वारा ऐसा कोई कार्य नही हो रहा है जो मीडिया में खबर बन सके। स्वंय के प्रयास की कमी के कारण भी वह मीडिया के परिदृश्य में नही आ पा रहे हैं।

10. सुझाव

1. शोध अध्ययन में केवल रायपुर शहर के अखबारों को ही लिया गया है उसे और विस्तृत क्षेत्र में करने कि जरूत है।
2. मीडिया के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक सरोकार आदि क्षेत्र में भी अध्ययन होना चाहिए।
3. मीडिया को समाज के ऐसे समुदाय पर भी सोचना होगा, जो हमेशा से ही अपनी पहचान के लिए मुख्यधारा से भेदभाव का शिकार होता आया है। स्वंय मीडिया के द्वारा प्रयास कर इनके समाज के लिए सुधार किया जाना चाहिए।

11. संदर्भ सूची

[1] राजपूत सिंह विकास, तृतीय लिंग समुदाय एक परिचय, छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति, रायपुर, 2013.

[2] भीष्म महेंद्र, किन्नर कथा, सामयिक बुक्स, 2009.

[3] सौरभ प्रदीप, तीसरी ताली, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2011.

[4] मासीवाल भावना, हिन्दी उपन्यास और थर्ड जेंडर, स्त्री काल (स्त्रीकाल समय और सच), *http://www.streekaal.com/2015/07/blogpost_17.html*

[5] तिवारी अमित, आलोचना: हिजड़ों का वजूद और हमारा सभ्य समाज, *http://aalochan.blogspot.in/2015/01/blogpost_3.html*

[6] सिंह धर्मवीर , कब तक नचवाते और तालियाँ बजवाते रहेंगे हम, स्त्रीकाल समय और सच, *http://www.streekaal.com/2014/04/blogpost_20.html*

[7] Agarawal Anuja, Gendered Bodies: The case of the 'Third Gender' in India, SAGE Publications,New Delhi ,31.2(1997)

[8] In The Supreme Court of India Civil Original Jurisdiction writ Petition (Civil) No.400 of 2012(Judgment)

[9] Ajan Rema, First count of third gender in census:4.9 lakh, 30/05/2014 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Firstcountofthirdgenderincensus49lakh/articleshow/35741613.cms

[10] Rex Mehta, Third Gender Leadership Development Project Ummeed Live 2012, UNDP India 2012.

[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia)

[12] http://cgkhabar.com/chhattisgarhbilaspurthirdgenderidentity20140922